

असाधारण
EXTRAORDINARY

Daman 30th June, 2020 09 Asadha, 1942 (Saka)

सं. : 33
No.

सरकारी राजपत्र
OFFICIAL GAZETTE



सत्यमेव जयते
भारत सरकार
Government of India

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन

U.T. ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI AND DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

U.T. Administration of Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
Office of the Finance Secretary
Department of Finance
Secretariat, Daman – 396 220.

No. 3/132/FD/DMN/2020/E-156562

Dated : 30/06/2020.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of section 4 of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Value Added Tax Regulation, 2005 (No. 2 of 2005), and in supersession of the notifications No.DMN/VAT/Part-files/57-2/2017-18/32 dated 15.01.2018 issued by erstwhile U.T. of the Daman and Diu and No. DC(VAT)/VAT(Amendment) Reg/2017/329 dated 06.03.2018 issued by erstwhile U.T. of the Dadra and Nagar Haveli, the Administrator of U.T. of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu hereby restores the tax rate as prescribed under the Fourth Schedule of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Value Added Tax Regulation, 2005 (No. 2 of 2005).

The provisions of this notification shall take effect from the midnight of date of issue.

By order and in the name of Administrator,
U.T. of Dadra and Nagar Haveli and
Daman and Diu

Sd/–
(**Karanjit Vadodaria**)
Joint Secretary (Taxation)

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
वित्त सचिव का कार्यालय,
वित्त विभाग,
सचिवालय, दमण - 396220.

सं. 3/132/वि.वि./दमण/2020/ई-156562.

दिनांक : 30/06/2020.

अ धि सू च ना

दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव मूल्य वर्धित कर विनियम, 2005 (वर्ष 2005 की सं. 2) की धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व संघ प्रदेश दमण एवं दीव द्वारा जारी अधिसूचना सं. दमण/वैट/खंड-फाइल/57-2/2017-18/32, दिनांक 15/01/2018 एवं पूर्व संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली द्वारा जारी सं. डीसी(वैट)/वैट(संशोधन)संबंधित/2017/329, दिनांक 06/03/2018 के अधिक्रमण में प्रशासक, संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव एतद्वारा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव मूल्य वर्धित कर विनियम, 2005 (वर्ष 2005 की सं. 2) की चौथी अनुसूची में यथानिर्धारित कर दर को पुनर्स्थापित करते हैं ।

इस अधिसूचना के प्रावधान जारी होने की तारीख के मध्यरात्रि से प्रभावी होंगे ।

प्रशासक, संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा
दमण एवं दीव के आदेश एवं नाम से

ह/-

(करणजीत वादोडरीया)

संयुक्त सचिव (कराधान)
